

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश
(भूतल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: ayushmission.mp@mp.gov.in

Office(0755) 2577762
Fax - (0755) 2760225

क्रमॉक/10/आयुष मिशन/23/F.No-82/6556

भोपाल, दिनांक 15/12/2023

::आदेश::

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत प्रदेश में स्थापित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (HWC) में सामुदायिक आयुष चिकित्सा अधिकारी (CAMO)-- यूनानी के पदों पर संविदा सेवाएँ देने हेतु संचालनालय के आदेश क्रमांक/10/आयुष मिशन/23/F.No-82/6285-6301 दिनांक 23/12/2022 को 05 अभ्यर्थियों के पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किये गये थे। वर्तमान में यूनानी के रिक्त 07 पदों पर प्रतीक्षा सूची से एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त सीट आवंटन के आधार पर आदेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक संविदा सेवा देने हेतु नियुक्ति प्रदान की जाती है। निम्नानुसार चयनित उम्मीदवारों को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर आवंटित जिले के जिला आयुष अधिकारी के समक्ष कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

क्र.	आवेदन क्रं.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	चयनित वर्ग	आवंटित जिला	आवंटित एच.डब्ल्यू.सी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	AY005220004334	ZAEEMA	RAEES AHMAD	F	UR/X/OP	रायमेन	आयुष HWC दिवानगंज
2.	AY005220002112	BHAVANA PATIL	GYANESH PATIL	F	UR/X/OP	देवाम	आयुष HWC कोठडा
3.	AY005220000600	HAIDER ALI ANSARI	SHAUKAT ALI ANSARI	M	OBC/X/OP	सीहोर	आयुष HWC पिपल्यामीग
4.	AY005220001779	SAFDER HUSAIN	LATE HAIDER ABBAS	M	OBC/X/OP	सीहोर	आयुष HWC अहमदपुर
5.	AY005220007035	AQSA BANO	MOHAMMAD AYZ	F	OBC/X/F	सीहोर	आयुष HWC जामनी
6.	AY005220002725	MUDASSIR SIDDIQUI	BASHEER SIDDIQUI	M	EWS/X/OP	रायमेन	आयुष HWC देहगांव
7.	AY005220001594	NUMRA FATEMA	MOHAMMED MOIN	F	UR/X/F	विदिशा	आयुष HWC गेजूरू

उक्त चयनित अभ्यर्थियों की संविदा नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- संविदा नियुक्ति की अवधि आदेश जारी दिनांक से 01 वर्ष होगी चयनित संविदा सामुदायिक आयुष चिकित्सा अधिकारी (CAMO) को कार्य अवधि के दौरान मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 22 जुलाई 2023 द्वारा प्रसारित निर्देशों के पालन में आयुष संचालनालय के आदेश क्रमॉक/10/आयुष मिशन/5773 दिनांक 29.09.2023 द्वारा निर्धारित समेकित समकक्षता रू 36,200/-पारिश्रमिक प्रतिमाह देय होगा। स्वीकृत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ता देय नहीं होंगे।
- संविदा CAMO मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पालन करेगा एवं "मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी संविदा सेवक (नियुक्ति तथा सेवा शर्त) नियम, 2018" के लागू होंगे तथा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना होगा। यदि चयनित उम्मीदवार दायित्वों का सक्रिय रूप से निर्वहन नहीं करता है तो इसे कदाचार माना जावेगा। किसी कदाचार पर या उसकी किसी अपराधिक क्रियाकलाप में अंतर्गत होने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसकी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा/सकेगी।

8

3. CAMO के लिये निर्धारित दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य रूप से करना होगा, निर्वहन न करने की स्थिति में संविदा शर्तों का उल्लंघन माना जाकर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 22 जुलाई 2023 की कण्डिका-09 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. चयनित उम्मीदवारों को CAMO के पद पर सेवाएं देने हेतु जिला आयुष अधिकारी के साथ रुपये 500 के नॉनजुडिशल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में संविदा अनुबंध निष्पादित करना होगा।
5. वार्षिक सेवा मूल्यांकन के आधार पर संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है और उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा अभियोजन कार्यवाही प्रचलित न हो अनुबंध का स्वतः ही समान शर्तों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा। प्रचलित अनुबंध पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगामी 01 वर्ष के नवीनीकरण की टीप दर्ज की जावेगी तथा पुनः नवीन अनुबंध निष्पादित करने की अनिवार्यता नहीं होगी।
6. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएगा।
7. संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश, की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी, जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 में निर्धारित हैं। इस प्रकार संविदा पर नियुक्त पुरुष अधिकारी/ कर्मचारियों को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
8. उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ जिला आयुष अधिकारी में होगी, अवकाश लेखे का संधारण जिला कार्यालय द्वारा किया जावेगा।
9. संविदा नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा राशि का भुगतान करके समाप्त की जा सकेगी। यदि संविदा अधिकारी बिना विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 1 माह से अधिक अवधि के लिय अनुपस्थित रहता है तो उसकी नियुक्ति अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
10. नियुक्ति पूर्व सम्बंधित अधिकारी को सत्यापित दस्तावेज जमा कराना होगा। किसी भी मूल प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अयोग्य माना जाएगा एवं सेवायें देने योग्य नहीं माना जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
11. नियुक्ति पूर्व चयनित अभ्यर्थी का जीवित/अद्यतन पंजीयन मध्यप्रदेश आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में अनिवार्य रूप से होना चाहिये।
12. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01/01/2022 की स्थिति में अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये, अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन के नियमानुसार होगी। आयु सीमा की गणना करते समय हाई स्कूल प्रमाण पत्र (10 वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्म तिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा।
13. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत CAMO के पद पर चयन होने पर संविदा सेवायें देने के पूर्व अन्य सेवा संविदा या नियमित में कार्यरत उम्मीदवारों को पूर्व कार्यरत पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा तथा पूर्व संस्था का कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. प्रथम मास के लिए संविदा राशि प्राप्त करने के पूर्व संविदा CAMO स्वयं अपने खर्चे पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सकीय परीक्षण करवायेगा, इस चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी।

//3//

15. नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी को चरित्र अनुप्रमाणन फार्म निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
16. संविदा CAMO के लिए पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थी द्वारा उक्त सभी वर्णित शर्तों को मान्य करते हुए अपने पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देगा।
17. संविदा सेवकों पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देश क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 लागू होंगे।
18. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 के प्रावधान अनुसार जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

(सोनाली पौक्षे वायंगणकर)

आयुक्त / मिशन संचालक
संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 15/12/2023

क्रमांक/10/आयुष मिशन/23/F.No-82/6557

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निज सचिव, आयुक्त आयुष, स्थानीय संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुष अधिकारी समस्त की ओर सूचनार्थ।
5. जिला आयुष अधिकारी समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित अभ्यर्थी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. शाखा प्रभारी आयुष मिशन संचालनालय आयुष ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त / मिशन संचालक

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश